आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद संख्या –59 / 2022

सूर्यदेव कुमार

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	*आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर*	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
13.04.2023	प्रस्तुत वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 2564 / 2021 में दिनांक–28.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में समाहर्त्ता, वैशाली के आदेश ज्ञापांक 718 दिनांक 18.08.2020 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है, जिस आदेश से जिला पदाधिकारी ने अपीलकर्ता को बर्खास्तगी का दंड दिया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में अंकित है किः– **"After some argument, learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw this writ application granting liberty to the petitioner to file appeal before the Divisional Commissioner/competent authority.** **Permission is accorded. The writ application stands dismissed as withdraw with liberty, as indicated above. If such appeal is filed within a period of four weeks from today, the same shall be considered and disposed of on merit by the concerned respondent after hearing both the parties by a speaking and reasoned order."** अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता (श्री	

WEB COPY NOT OFFICIAL

सूर्यदेव कुमार) को अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पद पर वर्ष 2010 में नियुक्ति हुआ तब से वे काम करते आ रहे है, परंतु उन्हें कोई वेतन नहीं मिला था। जब इन्होंने वेतन के लिए पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिया तो पुलिस पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2016 में प्रतिवेदित किया की अपीलकर्ता का नाम राजकीय मध्य विद्यालय, तितिढ़ा कंसारा के वर्ष 1995 के उपस्थिति पंजी में है। अंचलाधिकारी ने भी अपीलकर्ता के प्रमाण–पत्र को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर पूर्वी एवं प्रधानाध्यापक, रा0म0वि0 तितिढ़ा कंसारा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सत्य नहीं पाया। उक्त के संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उक्त प्रतिवेदन गलत है क्योंकि राजकीय मध्य विद्यालय, तितिढ़ा कंसारा के वर्ष 1995 के उपस्थिति पंजी के क्रमांक 80 पृष्ठ सं0–33 पर अपीलकर्ता का नाम है, जो पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 07.06.2016 में भी अंकित है। इसके बाद जिला पदाधिकारी, वैशाली ने अपीलकर्ता के प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु एक त्रिसदस्यीय कमिटि का गठन किया एवं उससे प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अपीलकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी अपीलकर्ता को नहीं थी और न ही स्पष्टीकरण के साथ त्रिसदस्यीय कमिटि का जाँच प्रतिवेदन अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया गया तथा अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर जिलाधिकारी, वैशाली ने अपीलकर्ता को बर्खास्त कर दिया, जो गलत है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि चौकीदार को बर्खास्त करने की शक्ति ग्राम चौकीदारी अधिनियम 1970 के कंडिका 35 (2) में है, जबकि जिलाधिकारी ने उन्हें बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण (नियंत्रण एवं अपील), 2005 के नियम 14 (xi) के आधार पर बर्खास्त किया है, जो गलत है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार अपीलकर्ता के

WEB COPY NOT OFFICIAL

शैक्षणिक प्रमाण–पत्र की जाँच त्रिसदस्यीय जाँच कमिटि के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया, जिसमें उनके (अपीलकर्ता) प्रमाण–पत्र को फर्जी पाया गया, जिस आधार पर जिला पदाधिकारी, वैशाली ने अपीलकर्ता को बर्खास्तगी का दंड दिया है, जो सही है।

अपीलकर्ता को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से सुनने, वाद अभिलेख एंव निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चौकीदार/दफादार को उनके सेवा काल में मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित (श्री सूर्यदेव कुमार) को अनुकम्पा के आधार पर चौकीदार के पद पर नियुक्ति हुई। इसके बाद अंचलाधिकारी ने अपीलकर्ता के प्रमाण–पत्र की जाँच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर पूर्वी से करायी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 173 दिनांक 26.08.2015 के द्वारा अभिलेख से मिलान करने पर प्रमाण–पत्र की सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकने का प्रतिवेदन दिया। थानाध्यक्ष, बिदुपुर से भी अपीलकर्ता के प्रमाण–पत्र के सत्यापन की जॉच करवायी गयी, उन्होने (थानाध्यक्ष) भी प्रमाण–पत्र के संबंध में अपीलकर्ता (श्री सूर्यदेव कुमार) का नामांकन पंजी में होने का उल्लेख किया गया, परंतु अष्टम उत्तीर्ण के संबंध में कुछ नहीं लिखा गया। इस प्रकार अपीलकर्ता के द्वारा उपलब्ध कराया गया शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के सत्यता की जाँच संदिग्ध होने के कारण जिलाधिकारी ने प्रमाण–पत्र की जाँच हेतु एक त्रिसदस्यीय जाँच कमिटि का गठन किया। त्रिसदस्यीय जाँच कमिटि ने अपने ज्ञापांक 863 दिनांक 07.06.2019 में अपीलकर्ता का प्रमाण–पत्र जाली पाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण पूछते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

जहाँ तक अपीलकर्ता का यह कहना कि जाँच में यह पाया गया है कि वर्ष 1995 के नामांकन पंजी में क्रमांक 80 पर अपीलकर्ता

WEB COPY NOT OFFICIAL

का नाम है । इस संबंध मे त्रिसदस्यीय जाँच कमिटि ने प्रमाण–पत्र निर्गत करने से संबंधित पंजी, (छात्रवृति पंजी), वर्ष वार परीक्षाफल शीट, नामांकन पंजी, वर्षवार उपस्थिति पंजी प्रधानाध्यापक से प्राप्त कर जाँचोंपरांत पाया कि अपीलकर्ता का नाम अंतिम क्रमांक 80 पर है जिस पर तत्कालीन प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर 20.10.1995 की तिथि में है, परंतु उस पर ओवरराइटिंग किया हुआ है। साथ ही प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये कॉलम के अधकटी में अपीलकर्ता का प्रमाण–पत्र सं0–01 दिनांक 13.01.2010 की तिथि में निर्गत है। प्रमाण–पत्र सं0–02 बिना हस्ताक्षर का है। प्रमाण–पत्र सं0–03 दिनांक 15.04.2010 में हस्ताक्षरित है। प्रमाण–पत्र सं0–04 दिनांक 21.04.2010 में हस्ताक्षरित है। प्रमाण–पत्र सं0–05–06 बिना हस्ताक्षर का निर्गत है। प्रमाण–पत्र सं0–07 दिनांक 13.04.2010 मे हस्ताक्षरित है। इसी प्रकार अन्य पूर्ण कॉलम में हस्ताक्षर विभिन्न तिथियों में पाया है। जिससे साबित होता है कि अपीलकर्ता द्वारा बाद में विद्यालय (प्रधानाध्यापक) से सॉठ–गॉठ कर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऐसा (विद्यालय के अभिलेख में छेड़–छाड़) किया गया है।

इस प्रकार त्रिसदस्यीय जॉच कमिटि ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर एवं प्रधानाध्यापक से प्राप्त प्रतिवेदन, नामांकन पंजी एवं निर्गत दिये गये विद्यालय परित्याण प्रमाण पत्र में पाई गई बिसंगतियों के आलोक में अपीलकर्ता का प्रमाण–पत्र जाली पाया। जिस आधार पर जिलाधिकारी ने अपीलकर्ता को स्पष्टीकरण करते हुए बर्खास्तगी का दंड दिया है, जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं एवं जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा पारित आदेश सर्वथा उचित है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

WEB COPY NOT OFFICIAL

	लेखापित एवं संशोधित आयुक्त आयुक्त।	

WEB COPY NOT OFFICIAL